प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट परिशिष्ट ' उनतीस '

प्रश्न सं. [क. 990]

प्रपत्र-अ

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 28/11/2017

विषय:- सिंचाई हेतु विद्युत की उपलब्धता। - तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 990 द्वारा माननीय विधायक श्री मुरलीधर पाटीदार ।

दिनांक 30-08-2013 को अधिसूचित मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 4.48 के तहत कृषि उपभोक्ताओं को कृषि उपयोग हेतु अस्थायी संयोजन प्रदाय किए जाते है। उक्त कंडिका के तहत उपभोक्ता को प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार प्रस्तावित संयोजन अविध हेतु भुगतान योग्य सम्पूर्ण देयक राशि का अग्रिम भुगतान करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वितीय वर्ष 2017-18 हेतु जारी टैरिफ आदेश के अनुसार अस्थायी सिंचाई संयोजन हेतु 3 माह की सम्पूर्ण देयक राशि अग्रिम जमा कराया जाना अनिवार्य है। टैरिफ आदेश 2017-18 के अनुसार उपभोक्ता जो एक माह एवं 2 माह के अस्थाई सिंचाई संयोजन लेना चाहते है वे न्यूनतम तीन माह की अग्रिम राशि का भुगतान कर संयोजन प्राप्त कर सकते है। उपभोक्ता द्वारा अस्थायी सिंचाई संयोजन लेने के उपरांत यदि संयोजन विच्छेदन हेत् आवेदन दिया जाता है तो सत्यापन उपरांत संयोजन विच्छेदित कर प्राप्त अग्रिम में से देय राशि के समायोजन उपरांत शेष राशि का भुगतान आवेदक को किया जाता है। म.प्र शासन ऊर्जा विभाग के पत्र क्र. एफ-3-13/2015/ तेरह, भोपाल दिनांक 03/11/2017 द्वारा जारी निर्देशों के अनुरुप दो माह तक की अवधि हेतु अस्थायी कृषि पंप के लिए वर्तमान में न्यूनतम 02 माह अवधि की अग्रिम राशि जमा करवाकर भी अस्थाई कनेक्शन प्रदाय किये जा रहे है।

> अनुभाग अधिकारी .प्र. शासन, ऊर्जा विभाग मंत्रालय, भोपाल

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 28/11/2017

विषय:-सिंचाई हेतु विद्युत की उपलब्धता। - तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 990 द्वारा माननीय विधायक श्री मुरलीधर पाटीदार ।

आगर-मालवा जिले के अंतर्गत सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में विगत् 01 माह में स्थाई कृषि पंप कनेक्शन हेतु प्राप्त हुए आवेदन तथा प्रदान किये गये स्थाई कनेक्शनों एवं शेष आवेदनकर्ताओं की वितरण केन्द्रवार जानकारी :-

क.	वृत्त का नाम	वितरण केन्द्र का नाम	प्राप्त आवेदनों	प्रदाय किये गये कनेक्शनों की	शेष आवेदन
1	आगर	कानड	की संख्या	संख्या	
1	जागर		11	10	01
	MIPIN 1919	सुसनेर	252	225	27
		सोयतं	10	5	05
		नलखेडा (शहर)	52	50	02
		नलखेडा (ग्रामीण)	31	29	02
2	शाजापुर	मोमन बडोदिया (उत्तर)	12	12	0
कुल			368	331	37

्री अनुभाग आधकार। म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 28/11/2017

विषय:-सिंचाई हेतु विद्युत की उपलब्धता। - तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 990 द्वारा माननीय विधायक श्री मुरलीधर पाटीदार ।

सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत 02 वर्षों में विद्युत रख-रखाव (मेन्टेनेंस) संबंधी किये गए कार्यों का वितरण केन्द्रवार विवरण

Ф.	वृत्त का	वितरण केन्द्र का नाम	विगत 2 वर्ष में किये गये मेन्टेनेंस के कार्य				
	नाम		निम्नदाब	11 के.व्ही.	33 के.	वितरण	33 / 11
	0=20		लाईन (कि.मी.)	फीडर (कि.मी.)	व्ही. फीडर (कि.मी.)	ट्रांसफार्मर (नंबर)	के.व्ही. उपकेन्द्र
1	आगर	कानड '	56	45	8	32	1
		सुसनेर	235	365	38	520	5
	125 5	सोयत 🔹	164	272	41	422	4
		नलखेडा (शहर)	176	266	25	425	3
		नलखेडा (ग्रामीण)	205	285	31	488	4
2	शाजापुर	मोमनबडोदिया (उत्तर)	83	68	24	198	4

्री अनुभाग अधिकारी म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोणल